

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3967 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
2	3	4	5	6	
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री रजिन्दर सिंह लाल / 31.10.71	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (2) से आच्छादित	दिनांक 01.09.24 से प्रभावी

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह

प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3967 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

3931

पत्रांक / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)					
1	श्री नितिन भट्टाचार्य / 16.08.1979	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3931 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3969 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्रीमती सीमा विनय भटनागर/06.06.82	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-2, नई टिहरी	परियोजना खण्ड, ऋषिकेश	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (एक) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3969 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3933 / प्र0अ0 / सिंचाई / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण(सुगम से दुर्गम)					
1	श्री दिनेश चन्द रवि / 01.07.1978	अवस्थापना खण्ड, डाकपत्थर	सिंचाई खण्ड, पुरोला	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

3933

संख्या : / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3934 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)					
1	श्री ओम प्रकाश / 5.3.71	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3934 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3945 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)					
1	श्री धीरेन्द्र सिंह/ 10.08.80	परियोजना खण्ड, देहरादून	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3945 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3946 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण(सुगम से दुर्गम)					
1	श्री भुवन चन्द्र जोशी / 06.03.1989	नलकूप खण्ड, हल्द्वानी	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3946 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3947 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण (सुगम से दुर्गम)					
1	श्री जितेन्द्र सिंह/04.04.81	परियोजना खण्ड, देहरादून	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (क)से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3947 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3948 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री कैलाशचन्द्र तिवाडी / 12.07.67	पी0एम0जी0एस0 वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा	परियोजना खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	दिनांक 01.09.24 से प्रभावी

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3948 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3949 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री सुशील कुमार फोंदणी / 05.06.1976	अवस्थापना पुनर्वास खण्ड, नई टिहरी	सिंचाई खण्ड, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3949 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3950 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्रीमती गरिमा वर्मा / 02.04.1987	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	शासनादेश संख्या आई/ 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3950 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3951 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसूचित अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री विनोद कुमार भट्ट / 05.05.78	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	शासनादेश संख्या आई/ 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमत्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3951 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3952 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री पंकज कुमार/ 01.03.1977	लघु डाल खण्ड, पिथौरागढ़	सिंचाई खण्ड, पिथौरागढ़	शासनादेश संख्या आई/ 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3952 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3953 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री राजेश चन्द्र सती / 15.5.74	सिंचाई खण्ड, बागेश्वर	सिंचाई खण्ड, कपकोट	शासनादेश संख्या आई/ 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3953 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3954 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री जितेन्द्र दत्त सेमवाल / 03.07.87	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, विकासनगर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3954 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3955 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री प्रदीप कुमार/ 17.08.86	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	नलकूप खण्ड, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3955 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3956 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री सुरेन्द्र सिंह/ 10.6.79	सिंचाई खण्ड, चमोली	सिंचाई खण्ड, थराली	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3956 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3957 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री सुनील कुमार/ 02.07.78	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड-1, श्रीनगर	प्रशासन खण्ड, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे:-

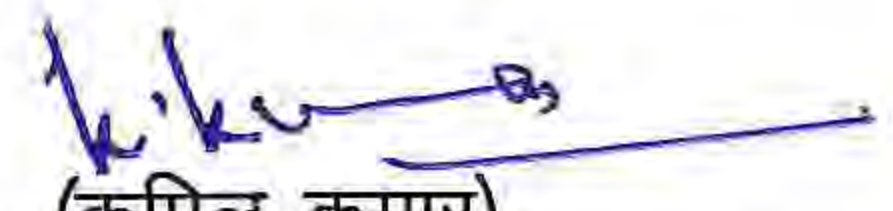
- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3957 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक ३९५४ / प्र०अ० / सि०वि० / का०-२ / ई-१५ / स्था०

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्रीमती वीना देवी / 14.10.1979	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	नलकूप खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : ३९५४ / प्र०अ० / कार्मिक-२ / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3959 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री नन्दा बल्लभ फुलारा / 26.9.82	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, नैनीताल ज्योलीकोट	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3959 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3960 / प्र0अ0 / सिंचाई / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री गोविन्द सिंह पंवार / 15.6.89	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिंचाई कार्यशाला, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3960 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3961 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री राहुल उप्रेती / 02.06.87	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	सिंचाई खण्ड, सितारगंज	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3961 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3962 / प्र0अ0 / सिंचाई / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिदीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री सिद्धार्थ डबराल / 01.02.88	लघु डाल खण्ड, श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड, जखोली	शासनादेश संख्या आई / 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3992 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3963 / प्र0अ0 / सिंचाई / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री विनोद सिंह राणा / 01.01.92	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	शासनादेश संख्या आई/ 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3963 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3964 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री नमनीत कुमार/ 10.01.86	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	पी0एम0जी0एस0 वाई सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	शासनादेश संख्या आई/ 130236 दिनांक 15.06.2023 के प्रस्तर-4 से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3964 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I / स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3965 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में एतद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनिवार्य स्थानान्तरण					
1	श्री नरेन्द्र सिंह चौहान / 18.10.86	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, उत्तरकाशी	प्रशासन खण्ड, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (1) (ग) (तीन) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3965 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3966 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित मुख्य प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री अम्बादत्त शर्मा / 28.02.74	सिंचाई खण्ड, कपकोट	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (छ:) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3966 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3968 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री सुरेश गडिया / 05.03.77	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्पावत	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (छः) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह

प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3968 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)

कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3974 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्रीमती बबीता लाल / 02.07.77	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा	प्रशासन खण्ड, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (पांच) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

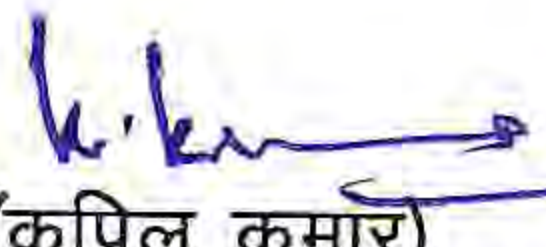
- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3974 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3975 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री कमल ठाकुर/ 07.06.85	सिंचाई खण्ड, रामनगर (दुर्गम उपखण्ड गरमपानी)	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (एक) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3975 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 5976 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्रीमती मममेश/01.07.74	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा (सम्बद्ध प्रशासन खण्ड, रुड़की)	परिकल्प खण्ड, रुड़की	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (पांच) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 5976 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3935 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री सत्यपाल सिंह यादव/ 01.07.69	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा	नलकूप खण्ड, हरिद्वार	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (एक) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3935 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3936 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री अर्जुन सिंह / 15.08.86	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, चम्बा	सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर (दुर्गम उपखण्ड कैम्पटी)	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (छ:) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह

प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3936 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)

वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3937 / प्र0अ0 / सिंचाई वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री देवेन्द्र सिंह/ 012.07.87	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (छ:) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3937 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-I/स्तर-II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
 - सम्बन्धित कोषाधिकारी।
 - कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3938 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री विशाल असवाल / 10.07.97	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	सिंचाई खण्ड, चमोली	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (छ:) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3938 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3939 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री सोहन सिंह/ 10.04.6	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, पुरोला	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (छ:) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3939 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर- I / स्तर- II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।


(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3970 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र० सं०	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री रविमोहन यादव/ 01.07.84	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	परियोजना खण्ड, देहरादून	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (एक) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3970 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 3977 / प्र0अ0 / सि0वि0 / का0-2 / ई-15 / स्था0

दिनांक 12 जुलाई 2024

:- कार्यालय ज्ञाप :-

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित कनिष्ठ सहायक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-3 में उल्लेखित कार्यालय से कालम-4 में अंकित कार्यालय में स्वयं के अनुरोध पर एतद्वारा स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अभ्युक्ति
	2	3	4	5	6
अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण					
1	श्री मंगल सिंह/ 10.04.72	नलकूप खण्ड, देहरादून	लघु डाल खण्ड, उत्तरकाशी	स्थानान्तरण अधिनियम की धारा 17 (ख) (सात) से आच्छादित	-

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम-2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने कार्यालय से स्थानान्तरित कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे:-

- प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि (Joining) का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेंगे।
- स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता-पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नहीं किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
- यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरुद्ध दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरुद्ध "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
- जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय-समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।
- उक्त कार्मिक को उनके गृह तहसील में तैनात नहीं किया जायेगा।

जयपाल सिंह
प्रमुख अभियन्ता

संख्या : 3977 / प्र0अ0 / कार्मिक-2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर-1/स्तर-11, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- कट फाईल हेतु।

(कपिल कुमार)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक-2)
कृते प्रमुख अभियन्ता